

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बड़जलास - श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 143/2018

अपीलान्त

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

बस्तीराम पुत्र बदरीराम जाति जाट

1.राज.सरकार जरिये तहसीलदार मुण्डवा।

निवासी मुण्डवा तहसील मुण्डवा

2.पटवारी हल्का, मुण्डवा।

जिला नागौर।

उपस्थिति

1. श्री मधुर सिखवाल अपीलांत की ओर से।

2. श्री कुन्दन सिंह आचीणा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

निर्णय

दिनांक:30.07.19

[1]-मामलें के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्त ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मुण्डवा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 79/2017 सरकार बनाम ओमप्रकाश में निर्णय दिनांक 28.07.17 के तहत मौजा मुण्डवा के खसरा नं. 1561 रकबा 0.10 बीघा गै.मु. श्मसान भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 11.04.18 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्त की अपील दिनांक 18.05.18 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांत द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार मुण्डवा के प्रकरण सं. 79/17 सरकार बनाम ओमप्रकाश की पत्रावली की फोटोप्रति, पट्टा की फोटोप्रति, शपथ पत्र की फोटोप्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए। दौराने कार्यवाही अपीलांत द्वारा दिनांक 20.06.19 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि विवादग्रस्त भूमि को लेकर सिविल न्यायालय में वाद लंबित होने से प्रकरण हाजा की सुनवाई सिविल न्यायालय के मूल वाद के निर्णय तक स्थगित रखा जाना चाहिये। जिसको प्रकरण के अंतिम बहस के साथ ही निस्तारण करने का विनिश्चय दिनांक 18.07.19 को किया गया।

[2]-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांत को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष न तो पक्षकार बनाया गया, न ही नोटिस दिया गया, न ही प्रकरण की कोई सूचना तक दी गई, ऐसी दशा में अपीलांत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साक्ष्य, सबूत व सुनवाई के अवसर से वंचित हुआ। बिना कब्जे के ओमप्रकाश के विरुद्ध कार्यवाही की गई, जबकि अपीलांत का वादग्रस्त भूमि पर पुरातन समय से कब्जा है, प्रार्थी का पशु बांधने की छान, चारदीवारी बने हुए है, लोहे का गेट चारदीवारी कर लगाया हुआ है, जो विभिन्न दस्तावेजों से भी साबित है तथा अपीलांत को साक्ष्य, सबूत सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिया जाता तथा नोटिस दिया जाता तो प्रार्थी अपीलांत साक्ष्य सबूत प्रस्तुत कर अपने तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र बेदखली के उद्देश्य से गलत व विधि विरुद्ध कार्यवाही की गई है। वादग्रस्त भूमि आबादी भूमि है तथा नगरपालिका मण्डल मुण्डवा के क्षेत्राधिकार में निहित भूमि है, जिसका वैध टाइटल अपीलांत में निहित है, अपीलांत का पुरातन कब्जा है, फिर भी विधि विरुद्ध व क्षेत्रकारिता से परे जाकर अपीलांत के भाई ओमप्रकाश के नाम कार्यवाही खोलकर संपूर्ण निर्णय पारित किया गया है जो सरसरी तौर पर व अपीलांत को बिना सुने पारित किया गया होने से निरस्तनीय है। चूंकि अपीलांत व्यथित व हितबद्ध पक्षकार है, जिसे पक्षकार बनाये बिना निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, इस कारण अपीलांत को निर्णय जैर अपील की कोई जानकारी पूर्व में किसी भी माध्यम से नहीं हो सकी। निर्णय जैर अपील दिनांक 28.07.17 की जानकारी अपीलांत को सर्वप्रथम अपीलांत के मकान पर दिनांक 12.03.18 को तहसीलदार मुण्डवा द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिये काला चिन्ह मार्क करने आये तथा तहसीलदार मुण्डवा द्वारा एलानिया धमकी दी गई कि हमारे ऊपर प्रेशर है, तुम्हारे निर्माण तोड़ देगे, नहीं तो चुपचाप यहां से भाग जाओ, तब सर्वप्रथम अपीलांत को यह जानकारी हुई कि अपीलांत को बिना सुने व बिना नोटिस दिये दिनांक 28.07.17 को अपीलांत के विरुद्ध आदेश पारित कर दिया गया, तब अपीलांत ने दिनांक 21.3.18 को तहसील कार्यालय में नकल के लिये आवेदन प्रस्तुत किया एवं उसी दिन नकल प्राप्त की एवं अविलंब न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की। अपीलांत द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सदभाविक, युक्तियुक्त, सम्यक व आवश्यक कारणों से हुई देरी है, जो जानकारी के अभाव में साक्ष्य सबूत व सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किये जाने से हुई देरी है, जो क्षमा योग्य है। जिसे क्षमा




अपर कलक्टर, नागौर

कर अपील अपीलांट जानकारी से अंदर मियाद शुमार की जाने का निवेदन किया है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नहीं किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि-

{2}(I)-वकील अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 20.06.19 की ओर हमारा ध्यान दिलाया तथा तर्क किया कि विवादित भूमि को लेकर सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है तथा सिविल न्यायालय द्वारा प्रकरण में स्थगन आदेश भी जारी किया जा चुका है। इसलिये सिविल न्यायालय के मूल वाद के निर्णय तक प्रकरण हाजा की कार्यवाही स्थगित रखी जानी चाहिये।

{2}(II)-अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर ही नहीं दिया एवं एकतरफा रूप से अपीलांट का प्रकरण निस्तारित कर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी विधिक त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अल्प समय में ही बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना जवाब व साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये निर्णय जैर अपील पारित किया है। इस कारण से निर्णय जैर अपील निरस्तनीय है।

{2}(III)-विधि का यह सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि जिन व्यक्तियों के विरुद्ध किसी प्रकार के आदेश व कार्यवाही की जाती है, उन्हें सुनवाई के लिये नोटिस जारी किये जावे, वर्तमान प्रकरण में अपीलांट के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय ने नोटिस तक जारी नहीं किया गया, अपीलांट के भाई ओमप्रकाश के विरुद्ध गलत रूप से नोटिस जारी कर दिया गया, जबकि वादग्रस्त भूमि का स्वत्व व कब्जा अपीलांट में निहित है। फिर भी अपीलांट के भाई के विरुद्ध वादग्रस्त भूमि के संबंध में जो कार्यवाही की गई है, वह विधि की दृष्टि से गलत व त्रुटिपूर्ण होने के कारण अपील के माध्यम से निरस्तनीय है।

{2}(IV)-अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट व मौके का नजरी नक्शा बनाकर पेश किया गया है, उसमें कही भी यह अंकन नहीं किया गया है कि कितने भू भाग पर अपीलांट के भाई ओमप्रकाश ने अतिक्रमण किया है एवं न ही किस दिशा में, कितने नाप पर अतिक्रमण किया है, इस बाबत मौका रिपोर्ट में किसी प्रकार का अंकन नहीं किया गया है, इससे स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट अस्पष्ट है व अस्पष्ट मौका रिपोर्ट के आधार पर किसी प्रकार का विधि सम्मत आदेश पारित करना न्याय संगत नहीं है एवं उक्त मौका रिपोर्ट भी स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि मौका रिपोर्ट में पडोसियों तक का अंकन नहीं किया गया है, इससे स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट तहसील कार्यालय में बैठकर बनायी गयी है, मौके पर आकर किसी प्रकार की कार्यवाही की ही नहीं गई, अधीनस्थ न्यायालय ने इस विधिक बिन्दु को नजरअंदाज कर विधिक त्रुटि कारित की है, जिससे निर्णय जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(V)-अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय अत्यंत ही जल्दी एवं हडबडी रखते हुए निर्णय पारित किया है क्योंकि प्रकरण में न तो अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिया गया व न ही जवाब हेतु अवसर दिया गया, मात्र जल्दबाजी पूर्वक अपीलांट के भाई ओमप्रकाश का कब्जा न होते हुए भी अपीलांट को बेदखली करने के उद्देश्य से यह निर्णय जैर अपील पारित किया है, जिससे भी आदेश जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(VI)-अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एक साइक्लो स्टाईल निर्णय है, यह निर्णय पूर्व में ही टाईप किया हुआ है, इससे मात्र खाली स्थानों की पूर्ति के लिये नाम व खसरा नं. व जुर्माने का अंकन किया गया है, इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि पूर्व में ही बेदखली का निर्णय पारित किया गया है तथा अपनी कार्यवाहियों के टारगेट की रिकार्ड में पूर्ति के लिये यह निर्णय जैर अपील के नाम पर खानापूर्ति की गई है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(VII)-प्राकृतिक न्याय का यह सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि किसी भी पक्षकार के विरुद्ध निर्णय पारित करने से पूर्व उसे साक्ष्य, सबूत व जवाब प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिये, मगर प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को नजरअंदाज कर सरसरी तौर पर निर्णय पारित कर न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किये बिना व अपने में निहित क्षेत्राधिकारों का गलत रूप से प्रयोग करते हुए निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

{2}(VIII)-इस संपूर्ण प्रकरण में अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर स्वतंत्र, निरपेक्ष व पृथक कब्जा होते हुए तथा स्वत्व निहित होते हुए तथा अपीलांट के भाई ओमप्रकाश का कोई कब्जा नहीं होने के बावजूद भी अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना तथा नोटिस दिये बिना व साक्ष्य सबूत व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही




अपर क्लर्क, नागौर

एकतरफा व गलत रूप से बिना कब्जे के ओमप्रकाश के विरुद्ध कार्यवाही की गई, जबकि अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर पुरातन समय से कब्जा है, प्रार्थी का पशु बांधने की छान, चारदीवारी बने हुए है, लोहे का गेट चारदीवारी कर लगाया हुआ है, जो विभिन्न दस्तावेजों से भी साबित है तथा अपीलांट को साक्ष्य, सबूत सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिया जाता तथा नोटिस दिया जाता तो प्रार्थी अपीलांट साक्ष्य सबूत प्रस्तुत कर अपने तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र बेदखली के उद्देश्य से गलत व विधि विरुद्ध कार्यवाही की गई है। वादग्रस्त भूमि आबादी भूमि है तथा नगरपालिका मण्डल मुण्डवा के क्षेत्राधिकार में निहित भूमि है, जिसका वैध टाइटल अपीलांट में निहित है, अपीलांट का पुरातन कब्जा है, फिर भी विधि विरुद्ध व क्षेत्रकारिता से परे जाकर अपीलांट के भाई ओमप्रकाश के नाम कार्यवाही खोलकर संपूर्ण निर्णय पारित किया गया है जो सरसरी तौर पर व अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया होने से निरस्तनीय है।

[2](IX)-अपीलांट के पड़ोसी मुकेश द्वारा जब अपने भूखण्ड का पट्टा जारी करवाया गया, उसमें पड़ोस में अपीलांट के कब्जे का जिक्र है एवं किस्तूरराम जो कि अपीलांट का पड़ोसी है, उसने भी वर्ष 1975 में एक शपथ पत्र दिया था, जिसमें भी अपीलांट के कब्जे का जिक्र है एवं उक्त भूमि वार्ड नं. 15 में आबादी भूमि में स्थित है, इसके समर्थन में वर्ष 1952 में एक पट्टा जारी किया गया था। अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर पुरातन व निरपेक्ष कब्जा है, जिस वस्तुस्थिति को नजरअंदाज कर निर्णय जैर अपील अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।


[3]-राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि आराजी भूमि पर अपीलांट का कब्जा नहीं होकर उसके भाई ओमप्रकाश द्वारा मौजा मुण्डवा में स्थित श्मसान भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर ओमप्रकाश को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में ओमप्रकाश उपस्थित भी हुआ है तथा उसके द्वारा जवाब प्रस्तुत कर पूर्वजों के समय से कब्जा होने का कथन किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का आराजी भूमि पर कोई क्लेम हो ऐसा नहीं माना जा सकता है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट के भाई ओमप्रकाश को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये। अपीलांट द्वारा आराजी भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत का पट्टा सं. 2/56/57 दिनांक 22.11.56 बेनाम मोतीलाल पुत्र बालमुकुन्द ईनाणी की फोटोप्रति प्रस्तुत की। जिसमें पूर्व दिशा में श्मसान भूमि दर्शायी गई है। जिससे भी आराजी भूमि आबादी की नहीं होकर श्मसान भूमि होना ही प्रकट करती है। माननीय सिविल न्यायालय द्वारा दीवानी विविध प्रकरण में आदेश दिनांक 23.10.18 में प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बगैर एवं सम्यक तौर पर विधि की प्रक्रिया का पालन कर सक्षम आदेश पारित किये बगैर वादग्रस्त जायदाद से बेदखल नहीं करने के आदेश पारित किये गये हैं। जिससे वर्तमान कार्यवाही पर कोई रोक नहीं है।

[4]- उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया गया। आराजी भूमि को लेकर वर्तमान कार्यवाही स्थगित की जाने को लेकर सिविल न्यायालय द्वारा कोई रोक लगायी गयी हो, ऐसा कोई दस्तावेजी आधार रेकॉर्ड पर नहीं है। पट्टवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके मुण्डवा के खसरा नंबर 1561 रकबा 0.10 बीघा श्मसान भूमि पर अपीलांट के भाई का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट के भाई को विधिवत नोटिस दिया गया है तथा वो अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी जवाबदेही भी प्रस्तुत की है। आराजी भूमि की किस्म गैर मुमकिन श्मसान है, जो सार्वजनिक उपयोगी भूमि होने से नियमन योग्य भी नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत फोटोप्रति पट्टा दिनांक 22.11.56 के अनुसार भी कथित पट्टे के पूर्व में श्मसान भूमि को पड़ोस दर्शाया गया है। जिससे भी आराजी भूमि राजकीय श्मसान भूमि होना ही प्रकट करता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

[5]- उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन आदेश की पालना करते समय माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर के दीवानी विविध प्रकरण सं. 61/18 बस्तीराम बनाम राज. सरकार में पारित आदेश दिनांक 23.10.18 के प्रकाश में सभी दस्तावेज एवं प्रकरण की वर्तमान स्थिति को अभिलेख पर लेते हुए यथोचित कार्यवाही करे।

[6]- निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर